न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –322/2023

अनवान : –

1. गुरबक्श सिंह पुत्र मनफूल जाति लखेरा (लखारा) निवासी फेफाना हाल–किर्ति नगर सिरसा।

– **वादी**

बनाम्

1. भूपसिंह पुत्र मनफूल सिंह जाति लखेरा (लखरा) निवासी फेफाना किर्ति नगर सिरसा।
2. जगदीश पुत्र मनफूल सिंह जाति लखेरा (लखरा) निवासी फेफाना किर्ति नगर सिरसा।
3. आत्माराम पुत्र मनफूल सिंह जाति लखेरा (लखरा) निवासी फेफाना किर्ति नगर सिरसा।
4. तीजा देवी पत्नी बुधराम पुत्र मनफूल सिंह जाति लखेरा (लखरा) निवासी फेफाना किर्ति नगर सिरसा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 21/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 क खाता स0 56/52 की कुल 1.6310 हैक्ट भूमि वादी के मृतक पिता फूलचन्द पुत्र पोकर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के पिता फूलचन्द पुत्र पोकर का दिनांक 27.08.2007 को स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.07.2005 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार देश भर के विभिन्न राज्यों के शहरों व गांवों में स्थित जायदाद की वसीयत अपने पांचों पुत्र भूपसिंह, बुधराम, गुरबक्श सिंह, जगदीश, आत्मराम के पक्ष में बहिब करवायी थी। वादी के पिता मनफूल उर्फ फूलचन्द पुत्र पोकर की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवाश के साथ दो गवाह छबीलदास नंबरदार गांव खाजा खेड़ा जिला सिरसा व रमेश चंद्र पुत्र रामकुमार निवासी मंडी आदमपुर हाल सिरसा की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर अंगुठा किया था जिसका मजमून आनन्द स्वरूप वसीनकानवीस सिरसा द्वारा तैयार किया गया था और उक्त वसीयत उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी सिरसा द्वारा पंजीकृत है जो पंजीयन क्रमांक 179 दिनांक 22.07.2005 को बहि न0 3 जिल्द न0 29 पृष्ठ संख्या 146 पर पंजीकृत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त वाद भूमि वसीयतकर्ता की स्वयं की पैदाकृता भूमि है वसीयत भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद व स्थगन आदि नही है तथा वसीयतकर्ता मनफूल उर्फ फूलचन्द पुत्र पोकर के देहान्त के बाद वसीयतकर्ता के एक पुत्र बुधराम पुत्र मनफूल का स्वर्गवास हो चुका है जिनके एक मात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 4 है इसलिए वसीयत भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब काबिज चले आ रहे है इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक वसीयत दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहान श्री रमेश चंद्र पुत्र श्री रामकुमार के बयान लिये किये जो की बाद तस्दीक शामिक मिसल किये। गवाहान द्वारा बयान तस्दीक करवायें गये की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयत की गई वाद भूमि पर कोई विवाद नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 9 केएनएन खाता स0 56/52, जमाबंदी रोही मौजा 9 केएनएन सम्वत 2029 ता 38 बहक मनफूल सिंह उर्फ फूलचन्द, मृत्यु प्रमाण पत्र मनफुल प्रदर्श–3, मूल वसीयत प्रदर्श–4, चित्रप्रति वसीयत प्रदर्श–4ए, सदस्य प्रमाण पत्र सरंपच ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा तस्दीक प्रदर्श–5 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि जो कि फूलचन्द पुत्र पोकर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है कि फूलचन्द पुत्र पोकर का दिनांक 27.08.2007 को स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में [illegible] 22.07.2005 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार देश भर के विभिन्न राज्यों के शहरों/ग्रामों में स्थित जायदाद की वसीयत अपने पांचों पुत्र भूपसिंह, बुधराम, गुरबक्श सिंह, जगदीश, आत्मराम के पक्ष में बहिब करवायी थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के पिता मनफूल उर्फ फूलचन्द पुत्र पोकर की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवाश के साथ दो गवाह छबीलदास नंबरदार गांव खाजा खेड़ा जिला सिरसा व रमेश चंद्र पुत्र रामकुमार निवासी मंडी आदमपुर हाल सिरसा की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर अंगुठा किया था जिसका मजमून आनन्द स्वरूप वसीनकानवीस सिरसा द्वारा तैयार किया गया था और उक्त वसीयत उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी सिरसा द्वारा पंजीकृत है जो पंजीयन क्रमांक 179 दिनांक 22.07.2005 को बहि न0 3 जिल्द न0 29 पृष्ठ संख्या 146 पर पंजीकृत है।अर्थात वाद भूमि के संबंध मे किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीया डिक्री फरमावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबध में किसी को कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 क खाता स0 56/52 की कुल 1.6310 हैक्ट भूमि वादी के मृतक पिता फूलचन्द पुत्र पोकर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के पिता फूलचन्द पुत्र पोकर का दिनांक 27.08.2007 को स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.07.2005 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार देश भर के विभिन्न राज्यों के शहरों व गांवों में स्थित जायदाद की वसीयत अपने पांचों पुत्र भूपसिंह, बुधराम, गुरबक्श सिंह, जगदीश, आत्मराम के पक्ष में बहिब करवायी थी। वादी के पिता मनफूल उर्फ फूलचन्द पुत्र पोकर की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवाश के साथ दो गवाह छबीलदास नंबरदार गांव खाजा खेड़ा जिला सिरसा व रमेश चंद्र पुत्र रामकुमार निवासी मंडी आदमपुर हाल सिरसा की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर अंगुठा किया था जिसका मजमून आनन्द स्वरूप वसीनकानवीस सिरसा द्वारा तैयार किया गया था और उक्त वसीयत उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी सिरसा द्वारा पंजीकृत है जो पंजीयन क्रमांक 179 दिनांक 22.07.2005 को बहि न0 3 जिल्द न0 29 पृष्ठ संख्या 146 पर पंजीकृत है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहान रमेश चंद्र पुत्र श्री रामकुमार के बयान लिये किये जो की बाद तस्दीक शामिक मिसल किये। गवाहान द्वारा बयान तस्दीक करवायें गये की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयत की गई वाद भूमि पर कोई विवाद नही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वादी का वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 56/52 की कुल 1.6310 हैक्ट भूमि में मृतक फूलचन्द पुत्र पोकर का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:42 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –322/2023

अनवान : –

1. गुरबक्श सिंह पुत्र मनफूल जाति लखेरा (लखारा) निवासी फेफाना हाल–किर्ति नगर सिरसा।

– **वादी**

बनाम्

1. भूपसिंह पुत्र मनफूल सिंह जाति लखेरा (लखारा) निवासी फेफाना किर्ति नगर सिरसा।
2. जगदीश पुत्र मनफूल सिंह जाति लखेरा (लखारा) निवासी फेफाना किर्ति नगर सिरसा।
3. आत्माराम पुत्र मनफूल सिंह जाति लखेरा (लखारा) निवासी फेफाना किर्ति नगर सिरसा।
4. तीजा देवी पत्नी बुधराम पुत्र मनफूल सिंह जाति लखेरा (लखारा) निवासी फेफाना किर्ति नगर सिरसा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 322 सन 2023 निर्णय दिनांक –21/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 56/52 की कुल 1.6310 हैक्ट भूमि में मृतक फूलचन्द पुत्र पोकर का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:42 IST
Reason: SelfAttested